



# राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 16

Website: <http://employment.livelihoods.raajasthan.gov.in>

1 अक्टूबर, 2022

फोन : 0141-2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु

आपकी जानकारी के लिए

## ऑन लाइन गेमिंग में कैरियर

21वीं सदी के इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। इस सदी में मनुष्य ने अपनी सुविधा एवं मनोरंजन हेतु अनेक आविष्कार किये हैं। उन्हीं आविष्कारों में गेमिंग भी शामिल हैं।

एक ऑनलाइन गेम एक विडियो गेम है जो या तो ऑनलाइन रूप से या मुख्य रूप से इंटरनेट या उपलब्ध किसी अन्य कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से खेला जाता है। ऑनलाइन गेम पीसी कंसोल और मोबाइल उपकरणों सहित आधुनिक गेमिंग प्लेटफार्म पर सर्वव्यापी है और कई शैलियों में फैले हुए हैं जिसमें प्रथम - व्यक्ति, निशानेबाज, रणनीति गेम और व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल -प्लेइंग गेम (एम.एम.आर.पी.जी) शामिल हैं।

2019 में ऑनलाइन गेम सेगमेंट में राजस्व \$16.9 बिलियन तक पहुँच गया, जिससे चीन \$ 4.2 बिलियन व संयुक्त राज्य अमेरिका \$ 3.5 बिलियन का उत्पादन हुआ। आजकल युवा कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी (Technology) फ्रेडली हो जाने से उनके लिए कैरियर में नई सम्भावनाएं नजर आने लगी हैं।

बढ़ते डिजिटलाइजेशन के दौर में अब ऑनलाइन गेमिंग कई लोगो के लिए कैरियर बन गया है। गैनक, सैन बालाजी, रामनारायण जैसे कई नाम हैं, जो दिन के 8 घंटे ऑनलाईन गेम खेलने में बिताते हैं और यह सब शौक से नहीं, अपितु पैसा कमाने हेतु करते हैं। गेमिंग कम्पनियों गेम जीतने पर प्राइज मनी के रूप में मोटा पैसा दे रही है। भारत में भी यह एक प्रोफेशन बन गया है, जिनमें लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भागीदारी करते हैं और

5 लाख से 20 लाख तक प्रति टूर्नामेंट कमाते हैं।

वर्तमान में इंडियन गेमिंग बिजनेस (Indian Gaming Business) लगभग 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। नौकरी के ढेर सारे विकल्पों के साथ गेमिंग इंडस्ट्री एक बेहतरीन कैरियर स्कोप के तौर पर उभर रही है।

गेमिंग इंडस्ट्री में कैरियर सिर्फ गेम खेलने और चैम्पियनशिप बेटल्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई कैरियर ऑप्शन हैं, जिसमें आप अपनी रुचि के हिसाब से सम्बन्धित कोर्स कर सकते हैं।

**कक्षा 12वीं के बाद गेमिंग इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए टॉप कोर्स कर सकते हैं :-**

1. B.Sc. in Animation & Gaming
2. Bachelor of science in Animation Game Design and Development

**गेमिंग इंडस्ट्री का कोई कोर्स करने के बाद प्रमुख तौर पर इन क्षेत्रों में नौकरी हासिल कर सकते हैं :-**

1. Game Animator
2. Game Producer
3. Audio Engineer
4. Creative Director
5. Game Designer
6. Game Artist
7. Game Programmer
8. Lead Artist
9. Game Tester



ऑनलाईन गेमिंग की संस्कृति को कभी-कभी ऐसे वातावरण के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है जो साइबरबुलिंग और जैनीफोबिया को बढ़ावा दे सकता है, किन्तु हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किसे चयन करना है अर्थात् हम ऑनलाईन

3. Bachelor of Arts (B.A.) in Animation & Computer Graphics
4. Bachelor of Arts (B.A.) in Digital Filmmaking & Animation
5. Bachelor of Science (B.Sc.) in Graphics, Animation & Gaming

गेमिंग को मानसिक शक्ति या तनाव मुक्ति एवं कैरियर हेतु प्रयोग कर सकते हैं अन्यथा एक लत के रूप में। अतः वर्तमान में इस उमरते हुए भविष्य को हमें सहयोग एवं दीक्षा देना अत्यन्त आवश्यक है।

डॉ. प्रज्ञा शर्मा

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(90)RSSB/अर्थना/CET/2022/875

दिनांक : 21.09.2022

-: विज्ञापन सं. 09/2022 :-

## समान पात्रता परीक्षा (COMMON ELIGIBILITY TEST) (स्नातक स्तर) - 2022

बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम-2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:-

| क्रम संख्या | सेवा का नाम                               | पद का नाम                    |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1.          | राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा           | प्लाटून कमांडर               |
| 2.          | राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा | 1. जिलेदार<br>2. पटवारी      |
| 3.          | राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा                | कनिष्ठ लेखाकार               |
| 4.          | राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा         | तहसील राजस्व लेखाकार         |
| 5.          | राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा     | पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) |
| 6.          | राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा    | पर्यवेक्षक                   |
| 7.          | राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा             | उप-जेलर                      |
| 8.          | राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा         | छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II   |

### समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अर्हित करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जायेगी।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
- बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुये हैं, प्रकाशित किया जायेगा।
- समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि, वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है। न्यूनतम अंक अवधारित करते समय, भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी, इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे किन्तु, उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा।

परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो, भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल

(क्रमशः)

मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग में के अर्हताओं की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए, विद्यार्थियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा विहित मानी जायेगी। तथापि, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए, इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हता अर्हता, केवल उनके प्रवर्गों के लिए आवेदन पत्रों पर चयन के लिए पात्र होंगे।

- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उत्तीर्ण किसी पद पर भर्ती के लिये, शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित है।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में उपस्थित होने से पूर्व अर्हताओं द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं आदि यदि कोई हो, के संबंध में शर्त पूर्ण करता/करती है। समान पात्रता परीक्षा के लिये अनुज्ञात किया जाना अर्हताओं को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।

### 1. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:—

बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अर्हता विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अर्हताओं ऑनलाइन आवेदन करें।

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अर्हताओं को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल <http://rsmssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एन.एस.ओ. पोर्टल <http://sso.rajasthan.gov.in> से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अर्हताओं के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/आईडीसी/आईडी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
- अर्हताओं द्वारा One Time Registration (OTR) क्लिक करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/आईडीसी/आईडी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
- यदि अर्हताओं के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
- यदि अर्हताओं अपना OTR/जन्म आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकात्मिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- अर्हताओं को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) जनरेट करना होगा।
- अर्हताओं परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
- अर्हताओं परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित संचालन समय रहते हो सके अथवा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अर्हताओं की होगी।
- आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अपर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अर्हताओं पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों का ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुचारु हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में समस्त पत्राचार बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।

### 2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:—

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें।

- सामान्य वर्ग व कीमतीलेख श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450/-
- राजस्थान के नॉन कीमतीलेख श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रु 350/-
- समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रुपये 250/-
- कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अर्हताओं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रुपये 250/- देय है (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें)।

नोट:-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अर्हताओं को सामान्य वर्ग का अर्हता माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अर्हताओं के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- फ्रीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- सभी वर्ग के ऐसे अर्हताओं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अर्हताओं अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

### 3. समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) के अन्तर्गत समाविष्ट रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                | पद का नाम                    | समाविष्ट पदों की संख्या |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.          | गृह रक्षा विभाग             | स्तादन कर्मांडर              | 43                      |
| 2.          | जल संसाधन विभाग             | 1. जिलेदार<br>2. पटवारी      | -<br>272                |
| 3.          | कोष एवं लेखा विभाग          | कनिष्ठ लेखाकार               | 1923                    |
| 4.          | राजस्व मण्डल                | तहसील राजस्व लेखाकार         | 158                     |
| 5.          | महिला अधिकारिता             | पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) | 176                     |
| 6.          | समोचित बाल विकास सेवाएं     | पर्यवेक्षक                   | -                       |
| 7.          | कारागार विभाग               | उप-जेलर                      | 49                      |
| 8.          | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II   | 335                     |

नोट-1. विभागवार एवं सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।

2. राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 एवं समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन को मान्य किया जायेगा।

### 4. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में विशेष निर्देश:-

- अर्हताओं ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं अर्हताओं की यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं बालों जिले की सहरीय आदिन जाति का निर्धारण कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- इसी प्रकार अर्हताओं अपनी क्षैतिज श्रेणी यथा महिला, विधवा, पतिव्रता, दिव्यांगजन (B/LV, HI, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षैतिज श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
- भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम-1988 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अभिलेखन क्रमांक F.5(3)DOP/A-1184 दिनांक 21.11.2018 के अनुसार देय होगा।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 यथा संशोधित के अनुसार दिव्यांगजन की निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा :-
  - B/LV (Blindness/Low vision)
  - HI (Hearing Impairment)
  - LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
  - Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
  - Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट/सिथिलत लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए योग्य माना जायेगा।

(क्रमशः)

## 5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

| क्र.स. | विभाग का नाम                | पद का नाम                    | आयु सीमा (01.01.2022) | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | महिला अधिकारिता             | पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) | 18-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।<br>और<br>NIELIT, New Delhi द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स/ भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एकीट्रिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (DOEACC) द्वारा आयोजित "ओ" लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट या<br>व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद(नेशनल कॉन्सिल) / राज्य परिषद(स्टेट कॉन्सिल) के अधीन आयोजित Computer operator & Programming Assistant (COPA) / Data Preparation and computer software (DPCS) कोर्स का प्रमाण पत्र<br>या<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/डिग्री<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कम्प्यूटर साईंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा<br>या<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग एवं तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री<br>या<br>राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्कमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (RS-CIT) कोर्स का प्रमाण पत्र<br>या<br>देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता                                 |
|        | जल संसाधन विभाग             | जिलेदार                      | 18-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.     | गृह तथा विभाग               | प्लाटून कमान्डर              | 20-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या मायाव सूचकांक या उससे ऊपर की रैंक का समकक्ष रूप से भूतपूर्व सैनिक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.     | राजस्व मण्डल                | तहसील राजस्व लेखाकार         | 21-40 वर्ष            | 1.भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो या सरकार द्वारा, आयोग के पारामर्श, मान्यता प्राप्त समतुल्य अर्हता रखता हो।<br>या<br>तागत तथा संबंध में लेखाकार संस्थान, कोलकाता की इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई चाहिए।<br>और<br>भारतीय नार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान, नई दिल्ली की इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए।<br>और<br>इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन डी.आई.एस.सी.(एन.आई.ई.एल.आई.टी.) द्वारा संघालित "ओ" या उच्चतर लेवल प्रमाणपत्र प्राप्त।<br>या<br>व्यवसायिक प्रशिक्षण स्क्रीन के राष्ट्रीय/राज्य परिषद के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (क.ओ.प्रोग.)/डाटा प्रोसेसिंग और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (ऑपरेटर्स) प्रमाण पत्र।<br>या<br>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान /कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री डिप्लोमा।<br>या<br>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।<br>या<br>राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्कमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संघालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (रा.सू.प्र.प्र.) |
| 5.     | कोष एवं लेखा विभाग          | कनिष्ठ लेखाकार               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.     | कारगार विभाग                | उप-जेलर                      | 18-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.     | सर्पेकित बात विकृत सेवाएं   | पर्यवेक्षक                   | 18-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.     | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | ग्रामवास अधीक्षक ग्रेड-आ     | 21-40 वर्ष            | भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी माती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अर्थात् आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा लिखित से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की माती हेतु आयोजित माती में पात्र नहीं माना जायेगा।

**6. आयु**—समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) में शामिल पदों की माती के लिये आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा, बिन्दु संख्या 5 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कॉलम संख्या 04 में दर्शाए अनुसार होगी।

**नोट**— राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोटेशन के कारण अधिकतम आयु सीमा में दो साल की वृद्धि किये जाने की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देय होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अलग से भी संशोधन जारी कर दिया जायेगा।

**उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी—**

1. अधिकतम आयु सीमा में –  
(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।  
(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।  
(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई अक्षर (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की छूट दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसे वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
6. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपतकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।
7. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
8. रिटायर्ड अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कर्मियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु काब/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक विधित करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्राधान्य कर्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(16) कर्मिक/क-2/84 पार/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होंगे।
9. विधवाओं और विध्वंस विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होगी चाहिये।
10. राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/नियमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

**स्पष्टीकरण**:- शिवाय महिला के मामले में चरम सख प्रधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाहविच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाहविच्छिन्न (डिवोर्स) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

**नोट**—

(क) उपरोक्त बिन्दु 6 की क्र.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्राधान्य "Non Cumulative" है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्र.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्राधान्य का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राधान्यों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

## 7. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

(क) परीक्षा शुरू राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम सेंट्रल कार्ड एवं क्रोडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 22.09.2022 से दिनांक 21.10.2022 को प्रति 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2022 से दिनांक 21.10.2022 को प्रति 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर मर्ज जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

**8. परीक्षा आयोजन**—समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 08.01.2023 से दिनांक 08.01.2023 के मध्य आवेदित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञापन के माध्यम से अलग से दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो सामानिकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

**9. प्रवेश पत्र**—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपर्युक्त संसंधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

(क्रमशः)

**14. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन

[illegible]

परीक्षा की स्कीम

नोट:- 1. सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।  
2. इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं किया जायेगा।

राजस्थान और भारत

राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत :

भारत का भूगोल :

- भौतिक स्वरूप: पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान
- जलवायु एवं मानसून तंत्र
- प्रमुख नदियाँ, बाढ़, झीलें एवं सागर
- वन्य जीव जन्तु एवं अभयारण्य
- प्रमुख फसलें— गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी
- प्रमुख खनिज—लोहा अयस्क, मँगनीज, बॉक्साइट एवं अन्नक
- ऊर्जा संसाधन— परम्परागत एवं गैर—परम्परागत
- राष्ट्रीय उद्यान एवं औद्योगिक प्रदेश
- समुद्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार

- भूमिनिर्क संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश
- जलवायु वृक्षांश, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश
- अम्लवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें
- प्राकृतिक वनस्पति
- वन्य जीव-जन्तु एवं अभयारण्य
- मृदाएं
- रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें
- जनसंख्या- वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, एवं लिंगानुपात
- प्रमुख जनजातियाँ
- वायविक एवं अवायविक खनिज पदार्थ
- ऊर्जा संसाधन- परम्परागत एवं गैर-परम्परागत
- पर्यावरण संरक्षण
- यातायात के साधन- राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान

- भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना (उद्देशिका), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संघविधान संशोधन, अपाठकता/निर्वाचन प्रक्रिया, जगह/हस्त यष्टिका।
- संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कार्यपालिका, संसद, उच्चतम न्यायालय
- संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, निबंध एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज।
- राजस्वधान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग। विशेष प्रशासन, राज्य मानवधिकार आयोग, लोकसुधार, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग।

(क्रमशः)

[illegible]

**फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश :-**

फोटोग्राफ और हेल्थकार्ड स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

आयस्क को नदिनम रंगीन फोटो (अधिकतम क: मास पुराना) अपलोड करी चाहिए। मोबाइल व अन्य चरम रंगित फोटो का उपयोग नहीं करें।

फोटो की गुणवत्ति (Background) सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।

फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

फोटो में आवेदक का चेहरा एक तिहाई से दो तिहाई नहीं कवरेड छाया, सतों द्वारा कट हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और दोनों स्पष्ट चर के दिखाई देने चाहिए।

यदि आप बयमा पहनते हैं, तो फोटो खिंचते वक़्त चेहरा पहन सकते हैं लेकिन बयरे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।

आवेदक की फोटो में बालों या घूंघट का घबरा नहीं होना चाहिए।

फोटो जेपीजी (JPG) प्रारूप में होना चाहिए एव इस्की संरख 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।

फोटो जेपीजी (JPG) के फाइलस मुनरन 240 × 320 एव अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सेल) होना चाहिए।

फाइल का आकार 500 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।

स्केन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

परिक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अथवा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।

[illegible][illegible]

1. यदि कोठे अर्थात् अपनी आँखोंवाले अंग में संश्लेषण का प्रवाह है तो उसे प्रदान प्रति की उत्तम दिशा में के पश्चात् 7 घंटा के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देख कर ऑनलाइन आवेदन में संश्लेषण कर सता है। ऑनलाइन आवेदन में अर्थात् की नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि के अनुसार अंग के अलावा अन्य प्रसिद्धि ऑनलाइन में संश्लेषण, किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में संश्लेषण करते एवं संश्लेषण देख गुटे निर्धारित सीस नाम करने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही करे।
2. यदि किसी अर्थात् की ऑनलाइन आवेदन में जुड़े रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की ओम दिशा में के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संश्लेषण नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन में संश्लेषण करने का एक जोर ऑनलाइन अंतर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाइन जुटे संश्लेषण देख गुटे निर्धारित समय दिया जायेगा जिससे अर्थात् अपने ऑनलाइन आवेदन की जुटे को संश्लेषण संश्लेषण करे। ऑनलाइन आवेदन में संश्लेषण हुआ जायेगा एवं समय की समय प्रकृत से बोर्ड की ऑनलाइन के मध्यम से तै जायेगी। उत्तर निर्धारित समय में अर्थात् अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संश्लेषण शुल्क 300/- रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान मुताबिक कर संश्लेषण कर सके। ऑनलाइन आवेदन में अर्थात् केवल श्रेणी, क्षीति श्रेणी, विशेष श्रेणी /उप श्रेणी, वैशालि स्थिति तथा शिक्षा, परिवारता हवादि में संश्लेषण कर सके।
3. अर्थात् अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, कोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संश्लेषण नहीं करेगा। आवेदन को अपने नाम, माता-पिता के नाम, परी, शैक्षणिक योग्यता, कोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित नुस्खे में संश्लेषण के दिखे (बना दो को की स्थिति में) पात्रता की जाँच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साध्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इससे परमाणु अर्थात् आवेदन में किसी प्रकार का संश्लेषण /परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी जुटे का सत्यापन परिवर्तन अर्थात् का हो।

**भारत की अर्थव्यवस्था :**

- बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक-वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान
- राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ
- सखिडी, लोक वितरण प्रणाली
- ई-गवर्नर्स
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र : कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल।
- हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति एवं नीली क्रान्ति।
- पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजन प्रणाली।
- प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण।

**राजस्थान की अर्थव्यवस्था :**

- राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग
- वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ, बंजड भूमि व सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएँ, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
- उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला
- गरीबी एवं बेरोजगारी-अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लेगशिप योजनाएँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), विकास संस्थाएँ, सहकारी आन्दोलन, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ, संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :**

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- रसा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह
- विद्युत धारा, उष्मा, कार्य एवं ऊर्जा
- आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं RH कारक
- स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग
- पर्यावरणीय एवं प्रास्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव
- जैव-विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संचारणीय विकास
- जनुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व
- कृषि-विज्ञान, उद्यान-विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में
- भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन
- अम्ल, क्षार एवं लवण, स्टीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक

**तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता :**

- Making series/analogy.
- Figure matrix questions, Classification.
- Alphabet test.
- Passage and conclusions.
- Blood relations.
- Coding-decoding.
- Direction/sense test.
- Sitting arrangement.
- Input output.
- Number Ranking and Time Square.
- Making judgments.
- Logical arrangement of words.
- Inserting the missing character/number.
- Mathematical operations, average, ratio.
- Area of Triangle, circle, Ellipse, Trapezium, rectangle, sphere, cylinder.
- Percentage.
- Simple and compound interest.
- Unitary Method.
- Profit & Loss.
- Average
- Ratio & Proportion.
- Volume of sphere, cylinder, cube, cone.

**Language Knowledge :**

- सामान्य हिन्दी
- संधि और संधि विच्छेद
- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, कारक, अव्यय
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह
- उपसर्ग एवं प्रत्यय
- विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द
- विराम चिह्न
- ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण
- पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण)
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण)
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- राजभाषा हिन्दी – संवैधानिक स्थिति
- पत्र एवं उसके प्रकार – कार्यालयी पत्र के प्रारूप के विशेष सन्दर्भ में।

**Language Knowledge :****General English**

- Use of Articles and Determiners
- Tense/sequence of Tenses
- Voice : Active and Passive
- Narration : Direct and Indirect
- Use of Prepositions
- Translation of Ordinary/Common English sentences into Hindi and vice-versa
- Synonyms and Antonyms
- Comprehension of a given passage
- Glossary of official, Technical terms (with their Hindi version)
- Letter writing : Official, Demi-official, Circulars and Notices.
- Note : Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.
- Idioms and Phrases
- One Word Substitution

**कम्प्यूटर का ज्ञान :-**

- Characteristics of Computers
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software- Relationship between Hardware & Software.
- Operating System
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)

**समसामयिक घटनाएँ**

1. राजस्थान, भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गहत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएँ एवं मुद्दे
2. वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएँ
3. खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ

**16. बोर्ड की वेबसाइट-**अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) के माध्यम से सनसत सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सनसत पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)  
अध्यक्ष

डी.आई.पी.आर/सी/12321/2022 रा.रो.सं 29/2022

**राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर**

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(90)RSSB/अर्थना/CET/2022/902

दिनांक : 27.09.2022

**संशोधित विज्ञापित**

**समान पात्रता परीक्षा(Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर)-2022**

बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) (स्नातक स्तर)-2022 का विज्ञापन संख्या - 09/2022 दिनांक 21.09.2022 को जारी किया गया था। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 में भी आयु सीमा में छूट देय होगी। अतः समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर)-2022 के विज्ञापन के बिन्दु संख्या - 06 "आयु" के नीचे अंकित नोट को विलोपित किया जाता है। अब इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित नोट पढ़ा जाये- "The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

(हरि प्रसाद शर्मा)  
अध्यक्ष



## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर

बसनी फेज-II, जोधपुर-342005 (राज.)

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

वेबसाइट : <http://www.aiimsjodhpur.edu.in>

विज्ञापन सं. : प्रशा./संकाय/05/2022-एम-जोध.

दिनांक : 09 सितंबर, 2022

सीधी भर्ती आधार पर एम्स जोधपुर के विभिन्न विभागों में संकाय पदों (समूह 'क') की भर्ती के लिए प्रवाही विज्ञापन.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, देश में गुणवत्तापूर्ण तृतीय स्तर, स्वास्थ्य-देखरेख के अन्तर्गत क्षेत्रीय अस्तित्व को ठीक करने तथा खातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नवीन एम्स तथा शीर्ष स्वास्थ्य देखरेख संस्थान है.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान) के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती पर निम्नलिखित संकाय पदों के लिए भारतीय नागरिकों तथा ओसीआई कार्डधारकों (समुद्रपार भारतीय नागरिक) से ऑनलाइन आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं. यह एक प्रवाही विज्ञापन है. कोई अन्तिम तिथि नहीं है. इस भर्ती से संबंधित विच्छेद तिथियों तथा अन्य सुसंगत सूचना के बारे में केवल एम्स, जोधपुर की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.aiimsjodhpur.edu.in> पर सूचित किया जायेगा.

| क्र. सं. | विभाग का नाम                           | प्रोफेसर |     |      |     |      | अपर प्रोफेसर |      |     |      |     | सह-प्रोफेसर |        |      |     |      | सहायक प्रोफेसर |      |        |      |     |      |     |      |        |
|----------|----------------------------------------|----------|-----|------|-----|------|--------------|------|-----|------|-----|-------------|--------|------|-----|------|----------------|------|--------|------|-----|------|-----|------|--------|
|          |                                        | आदुब     | अना | अपिब | अजा | अजजा | कुल पद       | आदुब | अना | अपिब | अजा | अजजा        | कुल पद | आदुब | अना | अपिब | अजा            | अजजा | कुल पद | आदुब | अना | अपिब | अजा | अजजा | कुल पद |
| 1        | एनेस्थीसियोलॉजी तथा क्रिटिकल केयर      | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | #1             | -    | 1      | -    | -   | -    | ^1  | -    | -      |
| 2        | जैव-रसायन विज्ञान                      | -        | -   | -    | 1   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 3        | बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी            | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | #1             | #1   | 2      | -    | -   | -    | ^1  | ^1   | -      |
| 4        | कार्डियोलॉजी                           | 1        | -   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | 1   | -    | -              | 1    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 5        | कार्डियोथोरेसिक सर्जरी                 | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | #1             | #1   | 2      | -    | -   | -    | ^1  | ^1   | -      |
| 6        | डर्मेटोलॉजी                            | -        | -   | -    | -   | 1    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 7        | डायग्नोस्टिक तथा इंटर्वेशनल रेडियोलॉजी | -        | -   | 1    | 1   | -    | 2            | -    | -   | #1   | -   | -           | 1      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | ^1   | 1   | -    | 1      |
| 8        | ई.एन.टी.                               | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | 1    | 1      |
| 9        | एन्डोक्रिनोलॉजी एवं मेटाबोलिज्म        | -        | -   | -    | 1   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | #1   | -              | -    | 1      | -    | -   | ^1   | -   | -    | -      |
| 10       | न्यायिक औषधि एवं विष विज्ञान           | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | 1   | -    | -              | 1    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 11       | गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी                    | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | #1  | -    | -              | 1    | -      | -    | -   | ^1   | -   | -    | -      |
| 12       | सामान्य औषधि                           | -        | -   | 1    | 1   | -    | 2            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | 1    | -              | 1    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 13       | सामान्य सर्जरी                         | -        | -   | -    | -   | 1    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 14       | अस्पताल प्रशासन                        | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 15       | मेडिकल ऑन्कोलॉजी/ हेमेटोलॉजी           | 1        | -   | 1    | -   | -    | 2            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | 1   | -    | -              | 1    | -      | -    | 1   | -    | -   | -    | 1      |
| 16       | सूक्ष्म जैविकी                         | -        | -   | -    | 1   | -    | 1            | 1    | -   | -    | -   | -           | 1      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 17       | नेओनेटोलॉजी                            | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | -    | -   | #1          | 1      | -    | -   | -    | 1              | -    | 1      | -    | -   | -    | -   | ^1   | -      |
| 18       | नेफ्रोलॉजी                             | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 19       | न्यूरोलॉजी                             | -        | -   | -    | -   | 1    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | #1             | 1    | -      | -    | -   | -    | -   | ^1   | -      |
| 20       | न्यूरोसर्जरी                           | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | 1    | 1      |
| 21       | नाभिकीय औषधि                           | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | -    | 1   | -           | 1      | -    | #1  | -    | -              | 1    | -      | -    | ^1  | -    | -   | 1    | 1      |
| 22       | ओन्कोट्रीटिक्स एवं गाइनेकोलॉजी         | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | 1    | -   | -           | 1      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 23       | आर्थोपेडिक्स                           | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 24       | पैथोलॉजी                               | 1        | -   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | 1    | -              | 1    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 25       | पेडियाट्रिक सर्जरी                     | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | #1   | -   | -           | 1      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | ^1  | -    | -      |
| 26       | फिजिकल मेडिसिन एवं रीहैबिलिटेशन        | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 27       | फिजियोलॉजी                             | -        | -   | -    | 1   | -    | 1            | -    | -   | 1    | -   | -           | 1      | -    | -   | -    | 1              | -    | 1      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 28       | साइकिएट्री                             | -        | -   | -    | 1   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | 1    | 1      |
| 29       | पल्मोनरी मेडिसिन                       | -        | 1   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 30       | रेडियोथेरेपी                           | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 31       | सर्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी            | 1        | -   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | 1           | 1      | -    | #1  | -    | -              | 1    | -      | -    | ^1  | -    | -   | -    | -      |
| 32       | सर्जिकल ऑन्कोलॉजी                      | -        | 1   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | #1   | #1  | #1   | 3              | -    | -      | -    | ^1  | 1    | ^1  | 1    | 1      |
| 33       | ट्रांसप्लूजन्ट मेडिसिन एवं ब्लड बैंक   | -        | -   | 1    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | -   | -    | -   | -    | -      |
| 34       | अभिघात एवं आपात *                      | -        | 1   | -    | -   | -    | 1            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | 2      | -    | 1   | -    | 1   | 4    |        |
| 35       | यूरोलॉजी                               | -        | -   | -    | -   | -    | -            | -    | -   | -    | -   | -           | -      | -    | -   | -    | -              | -    | -      | -    | 1   | 1    | -   | 2    | -      |
| कुल      |                                        | 31       |     |      |     |      | 08           |      |     |      |     | 20          |        |      |     |      | 13             |      |        |      |     |      |     |      |        |

प्रयुक्त संक्षिप्तियां :- आर्थिक दुर्बल वर्ग (आदुब), अनारक्षित (अना), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिब), अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा).

टिप्पणी :- 1. \*अभिघात एवं आपात विभाग के पद हेतु :-

> अभिघात एवं आपात में प्रोफेसर का पद आर्थोपेडिक्स के लिए आरक्षित है.

> अभिघात एवं आपात विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | पद का नाम      | विभाग                                  | संवर्ग |
|----------|----------------|----------------------------------------|--------|
| 1.       | सहायक प्रोफेसर | कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी                | अजजा   |
| 2.       | सहायक प्रोफेसर | डायग्नोस्टिक तथा इंटर्वेशनल रेडियोलॉजी | आदुब   |
| 3.       | सहायक प्रोफेसर | आर्थोपेडिक्स                           | अपिब   |
| 4.       | सहायक प्रोफेसर | बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी            | आदुब   |

(डॉ. दुष्यंत महलोत)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>एनआइए, जयपुर</b></p> <p>पद - प्रोफेसर आदि</p> <p>पद संख्या - कुल 28 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 20 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://www.nia.nic.in/">https://www.nia.nic.in/</a></p>                                     | <p><b>सेल, ओडिशा</b></p> <p>पद - कंसल्टेंट व मेडिकल ऑफिसर</p> <p>पद संख्या - कुल 15 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 14 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://www.sail.co.in/en/home">https://www.sail.co.in/en/home</a></p> | <p><b>एमएस, ऋषिकेश</b></p> <p>पद - ट्यूटर/क्लीनिकल इंस्ट्रक्टर आदि</p> <p>पद संख्या - कुल 33 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 15 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://aiimsrishikesh.edu.in/">https://aiimsrishikesh.edu.in/</a></p> | <p><b>पीएफआरडीए</b></p> <p>पद - असिस्टेंट मैनेजर</p> <p>पद संख्या - कुल 22 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 07 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://www.pfrda.org.in/">https://www.pfrda.org.in/</a></p>                                     |
| <p><b>मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज</b></p> <p>पद - सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट</p> <p>पद संख्या - कुल 13 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 28 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://www.tropmet.res.in/">https://www.tropmet.res.in/</a></p> | <p><b>टीपीएसएससी</b></p> <p>पद - वुमन-वाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर</p> <p>पद संख्या - कुल 23 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 10 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://www.tspsc.gov.in/">https://www.tspsc.gov.in/</a></p>          | <p><b>आइएसपी, नाशिक</b></p> <p>पद - वेलफेयर ऑफिसर आदि</p> <p>पद संख्या - कुल 16 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 10 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://ispnasik.spmcil.com/">https://ispnasik.spmcil.com/</a></p>                  | <p><b>बिहार सिविल कोर्ट</b></p> <p>पद - ऑफिसर्स व स्टाफ</p> <p>पद संख्या - कुल 7,692 पद</p> <p>अंतिम तिथि - 20 अक्टूबर, 2022</p> <p><a href="https://districts.ecourts.gov.in/patna">https://districts.ecourts.gov.in/patna</a></p> |

1. हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा जाधपुर में कितनी नई 'डुंदिरा रसोई' का शुभारंभ किया गया है ?  
(अ) 870 (ब) 417 (स) 512 (द) 315
2. हाल ही में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में देवेन्द्र झाझरिया ने कौनसा पदक जीता है ?  
(अ) स्वर्ण (ब) रजत (स) कांस्य (द) इनमें से कोई नहीं
3. "चेतक अश्व मेला" कहाँ आयोजित किया जाता है ?  
(अ) नाथद्वारा (ब) बावंड (स) गोगुंस (द) हल्दीघाटी
4. प्रदेश में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र कहाँ स्थापित किया गया ?  
(अ) सेवर, भरतपुर (ब) बस्सी, जयपुर (स) सूरतगढ़, श्रीगंगानगर (द) इनमें से कोई नहीं
5. हाल ही में "गोडावण पर्यटन सफ़्टिक" विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई है, इसमें कौन-कौनसे जिले शामिल हैं ?  
(अ) अजमेर, टोंक, बीकानेर, गंगानगर (ब) सीकर, गंगानगर, जालोर, बारां (स) बाड़मेर, जालोर, सिरोंही, पाली (द) बुरु, सीकर, बीकानेर, गंगानगर
6. महामंदिर जाधपुर में किस सम्प्रदाय की पीठ स्थित है ?  
(अ) निम्बार्क सम्प्रदाय (ब) नाथ सम्प्रदाय (स) वल्लभ सम्प्रदाय (द) विष्णु सम्प्रदाय
7. निम्न में से किस स्थल के उत्खनन में 'अग्नि वैदिकाएँ' मिली थी ?  
(अ) कालीबंगा (ब) गणेश्वर (स) गिरुड (द) बागी
8. राजस्थान में सर्वाधिक जलवायु अनुकूलता वाली नदी है ?  
(अ) अजमेर (ब) करौली (स) जयपुर (द) भरतपुर
9. राजस्थान में पहला वीयर रेस्क्यू सेंटर है ?  
(अ) अग्रक (ब) सीसा-जस्ता (स) रॉक फास्फेट (द) इनमें से कोई नहीं
10. हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है ?  
(अ) कालीबंगा (ब) राखीगढ़ी (स) तोथल (द) इनमें से कोई नहीं
11. हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है ?  
(अ) इंदौर (ब) बीजिंग (स) समरकंद (द) वाराणसी
12. हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया ?  
(अ) पीवूष गोयल (ब) ममता बनर्जी (स) डॉ. रमाति पिरामल (द) इनमें से कोई नहीं
13. कालाजार रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है ?  
(अ) लिशमैनिया (ब) एण्ट अमीबा (स) ट्रिपैनोसोमा (द) ट्राइकोनोमास
14. DNA का डबल हैलिक्स मॉडल किसने दिया ?  
(अ) ल्यूनेनहार्क (ब) वाटसन व क्रिक (स) डाल्टन (द) इनमें से कोई नहीं

1(स) 2(ब) 3(द) 4(अ) 5(स) 6(ब) 7(अ) 8(द)  
9(स) 10(स) 11(ब) 12(द) 13(स) 14(अ) 15(ब)



सूख सम्पादक  
प्रवीण माथुर  
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय  
राजस्थान, जयपुर  
मुख्य, प्रकाशक एवं सम्पादक  
हीरा राम बडगुजर  
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार सेवा, जयपुर,  
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दबावा स्कूल पीसस,  
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड - 302001, फोन- 2368398  
e-mail – [adps.jpr.emp@rajasthan.gov.in](mailto:adps.jpr.emp@rajasthan.gov.in)